(d) what is the amount of expenditure incurred during 1984-85 and the estimates for the years 1985-86 and 1986-87?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) So far 30 units, including Demonstration Units, have been modernised under the scheme.

(d) During the year 1984-85, an amount of Rs. 23.75 lakhs was released to the concerned State Governments under the scheme. So far, in the year 1985-86, no amount has been released under the scheme. However, some sanctions are expected to be released during the remaining part of the year. Matter regarding finalisation of estimates of expenditure under the scheme in 1986-87 is under consideration.

Model villages in Maharashtra

1346. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any villages have been selected in different States as model villages for all round and intensive development;

(b) if so, the number of such villages selected in Maharashtra; and

(c) the annual investment proposed for such villages and time frame drawn for implementation of such programmes?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) There is no Central or Centrally Sponsored Scheme in the Ministry of Agriculture for selection of model villages for all-round and intensive development.

Committee for inland fisheries

1347. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up a Committee (i) to prepare a national policy and (ii) to chart out enabling legal provisions in order that States may implement the same for encouraging Inland fisheries;

(b) whether the committee has submitted its report;

(c) if so, the details of its recommendations; and

(d) what is Government decision on various proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Committee is yet to submit the report in this regard. A draft model bill has been prepared which is under circulation to the members of the drafting Committee for revision of 'Indian Fisheries Act, 1897'. Meanwhile the State Governments and U.T.s have been requested to communicate the suggestions for the amendment of the said act. The problems and suggestions to be received from various State Governments and U.T.s will be incorporated in the Draft Model Bill before it is finalised.

इन्सेट 1-सी के द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण केन्द्र

1348. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है जो इन्सेट–1 सी के

द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं;

(ख) ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनसे यह आशा की जाती है कि वर्ष 1986 के अन्त तक वे इन्सेट-1सी के द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने लगेंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) जिस राष्ट्रीय उपग्रह को चालू किया गया है तथा जो उपयोग में हैं, वह इन्सेट-1 बी है। देश के सभी मौजूदा 174 केन्द्र इन्सेट-1 बी के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहे हैं।

(ख) यह उम्मीद है कि वर्ष 1986 के अंत तक 11 और केन्द्र इन्सेट-1 बी के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम टेलीकास्ट करने लगेंगे।

(ग) इन सभी केन्द्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। [देखिए, परिशिष्ट CXXXVI अनुबंध संख्या 19]

कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के संबंध में चीन के साथ समझौता

1349. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो और दूरदर्शन के संवाददाताओं तथा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में हाल ही में भारत और चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) से (ग) भारत और चीन के बीच रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में नई दिल्ली में दिनांक 10 फरवरी, 1985 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने, दोनों देशों के लोगों के बीच समझबूझ बढ़ाने के लिए टेलीविजन डाकुमेंट्रियों और फीचरों का संयुक्त रूप से निर्माण करने, दोनों पक्षों के रेडियो और टेलीविजन संगठनों द्वारा एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों पर उपयुक्त कार्यक्रम देने, भारतीय रेडियो और टेलीविजन दल की चीन की यात्रा और दोनों देशों के रेडियो और टेलीविजन रिपोर्टरों की परस्परता आधार पर यात्राओं की व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा उसका अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद ही प्रवृत्त होगा। तथापि, 4 नवम्बर से 12 नवम्बर, 1985 तक नई दिल्ली में हुई सरकारी स्तर की बातचीत में 1986 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भारत और चीन के बीच सहमति हुई है। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ साथ, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में निम्नलिखित रूप में आदान-प्रदान की व्यवस्था है :-

(1) "दोनों पक्षकार रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

(2) "दोनों पक्षकार प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विद्वान हयन सांग (XUAM ZHUANG) पर एक टेलीविजन फिल्म संयुक्त रूप से बनाने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए हैं। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

(3) "भारतीय पक्षकार एक रेडियो/टेलीविजन प्रतिनिधिमण्डल चीन भेजेगा। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"